

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान बीला देवी बनाम किरण

क्रमा संख्या/वर्ष टी0आई0 77/2024


दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/01/25	<p>पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा एवं अप्रार्थी 03 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकिशोर चौधरी व अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार चाहर हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम तिवाडीवाला, पटवार हल्का श्योसिंहपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 51/2 रकबा 1.2520 है०, प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जे काशत, सहखातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के अनुसार मौके पर अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि पर विक्रय, हस्तान्तरण, खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है। उन्हे उनकी कब्जे की भूमि से जबरिया बेदखल करने, बेचान, हस्तान्तरण करने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काशत में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। बावजूद सम्यक् तामील अप्रार्थी संख्या 01, 02 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 03 ने प्रार्थन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब पेश कर, जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि यदि मौके पर कब्जे काशत को मध्यनजर रखते हुए सरस-नरस के आधार पर विभाजन किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>अप्रार्थी संख्या 04 ने प्रार्थन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब पेश नहीं कर, सीधे बहस करने हेतु निवेदन किया।</p> <p>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस व पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, चूंकि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् विभाजन के साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं</p>	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होता है।

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय-वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम तिवाडीवाला, पटवार हल्का श्योसिंहपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 51/2 रकबा 1.2520 है० पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कमिश्नर
जयपुर शहर प्रथम